

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया
पत्रांक- 1356/141, दिनांक: औरैया, नवम्बर 27 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय: गेल इण्डिया लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नैचुरल गैस पाइपलाइन झांसी-औरैया-फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक 1380/11-सी-FP/UP/Others/23971/2017 लखनऊ दिनांक 17.11 2017।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में झांसी, उरई, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों की प्रभावित होने वाली संरक्षित/आरक्षित वनभूमि के समेकित प्रस्ताव में कमियों का निराकरण कर वांछित अभिलेखों को चाहा गया है।

अतः सभी वन प्रभागों द्वारा आपके पत्र में इंगित कमियों का निराकरण कर लिया गया है तथा मूल प्रस्ताव 03 प्रतियों में आपके कार्यालय को उपलब्ध कराकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

(सुंदरेशा)

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया।

पत्रांक- /समदिनांकित।

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि मुख्य प्रबंधक (निर्माण), गेल इण्डिया लि०, आर०सी०एफ० बिल्डिंग, विभूति खण्ड, लखनऊ, उ०प्र० को सूचनार्थ।

(सुंदरेशा)

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया।